प्रधान कार्यालय, डिजिटल बैंकिंग विभाग
सार्वजनिक सूचना

स्वचालित टेलर मशीनों/कैश रिसाइक्लर मशीनों के उपयोग हेतु ग्राहक प्रभार की समीक्षा

आरबीआई के निर्देश आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 दिनांक 10 जून, 2021 के अनुसार और 28 मार्च, 2025 को अद्यतित।

ग्राहक प्रत्येक महीने अपने बैंक के एटीएम से पाँच निःशुल्क संव्यवहार (वित्तीय और गैर-वित्तीय संव्यवहारों सहित) हेतु पात्र हैं। वे अन्य बैंक के एटीएम से भी निःशुल्क संव्यवहार (वित्तीय और गैर-वित्तीय संव्यवहारों सहित) हेतु पात्र हैं, अर्थात मेट्रो केंद्रों में तीन संव्यवहार और गैर-मेट्रो केंद्रों में पाँच संव्यवहार।

" निःशुल्क संव्यवहारों के अलावा, ग्राहक को प्रति संव्यवहार पर 23 रुपये प्रभारित किया जाएगा। यह 1 मई, 2025 से प्रभावी होगा।"